

the same had to be postponed on the request of some Members.

Economic condition of Beedi Workers in Andhra Pradesh

*96. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have studied declining living standards of beedi workers in Andhra Pradesh;

(b) if so, the details of the study conducted on the economic condition of beedi workers in Andhra Pradesh;

(c) what steps are proposed to stop this decline, and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) The Directorate General of Labour Welfare, through the Welfare Commissioner, Hyderabad, in the ordinary course of their work monitor the living conditions of the beedi workers of Andhra Pradesh. Various measures are already under implementation to improve the economic conditions of beedi workers in the State of Andhra Pradesh. Among the measures that have been taken are:—

(i) The enforcement of the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 has been tightened. The minimum wages have been raised to Rs. 27.50 per thousand beedis.

(ii) The implementation of various welfare schemes under the Beedi Workers Welfare Fund has been substantially stepped up. Highest priority is being given to health housing and educational schemes. Over 20,000 houses have been constructed for beedi workers under the Housing Scheme for Economically Weaker Sections. Another about 650 houses have been constructed under the Build Your Own House Scheme. About 35,000 children of beedi workers are being given educational scholarships/financial assistance for purchase of school dress/text books,

slates and note books. Steps have been taken to improve the availability of medicines in dispensaries being run under the Welfare Fund by doubling the financial norms for purchase of medicines and substantial step up in budget provision of each dispensary for purchase of medicines.

(iii) Out of 6.2 lakh beedi workers in Andhra Pradesh 4.05 lakh beedi workers have been covered under the Central Provident Fund Scheme. In addition, about 35,000 beedi workers have been covered under the Group Insurance Scheme in Andhra Pradesh.

This is in addition to various poverty alleviation and employment generator programmes/schemes like. IRDP, JRY, EAS, IAY, DWACRA, TRYSEM, Tribal Sub-Plan, ITDP and Special Component Plan for SCS etc., which are being implemented in Andhra Pradesh with full force.

देश में गरीबी की स्थिति

*98. श्री अजीत जोगी :
श्री मूल चन्द भीणा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गरीबी की स्थिति संबंधी अद्यतन आंकड़े क्या हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश से गरीबी दूर करने के लिए वर्ष 1992 के दौरान शुरू किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का क्या परिणाम निकला ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री निरिधर गमंग) : (क) से (ग) गरीबी का अनुमान घरेलू उपभोक्ता व्यय के पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। जिन दो नवीनतम पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के परिणाम उपलब्ध हैं, वे वर्ष 1983 तथा 1987-88 में किए गए थे।

गरीबों का अनुमान लगाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई वर्तमान क्रियाविधि दर्शाती है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 1983-84 में 37.4 प्रतिशत से घटकर 1987-88 में 29.9 प्रतिशत रह गई है। एक भिन्न क्रियाविधि का प्रयोग करते हुए गरीबों का अनुपात तथा संख्या का अनुमान लगाने संबंधी एक विशेषज्ञ दल ने गरीबी का वर्ष 1983 में 44.76 प्रतिशत से घटकर 1987-88 में 39.34 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है।

वर्ष 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 196 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में 41.7 मिलियन थी। विशेषज्ञ दल के अनुमानों के अनुसार उस वर्ष में गरीबों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 229.4 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में 83.4 मिलियन थी।

मुधारोत्तर अवधि अर्थात् वर्ष 1993-94 में किए गए धरेलू उपभोक्ता व्यय के तबनीतम पंचवार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं।

देश में बाल-श्रमिक

*99. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या बाल श्रमिक समस्या के निदान हेतु कोई कार्ययोजना भारत सरकार के समक्ष लंबित है; और

(ग) यदि हा, तो उक्त योजना में बाल श्रमिकों की समस्या कब तक हल कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा):

(क) 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या के बारे में सूचना विवरण में संलग्न है (नीचे देखिए)। 1991 की जनगणना के

आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 1987 के 43वें दौर के अनुसार, बाल श्रमिकों की संख्या 17.02 मिलियन होने का अनुमान है।

(ख) बाल श्रम की समस्या में निपटने के लिये सरकार ने पहले ही अनेक कदम उठाये हैं। 1986 में एक व्यापक विधान अर्थात् बाल श्रम (प्रति-षेध एवं विनियमन) अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 1987 में बनाई गयी राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसार बाल श्रम समस्या का (क) विधान (ख) बाल श्रमिकों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों, और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। भारत, अं०श्र०सं० के अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम में भी एक प्रतिभागी है। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार के प्रयासों को अं०श्र०सं० के बाल श्रम कार्यवाई एवं मद्भाग्यता नामक कार्यक्रम द्वारा भी मद्भाग्यता प्रदान की जाती है।

सितम्बर, 1994 में, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिये राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया था:—

(i) विशेष रूप से जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिये नीतियों एवं कार्यक्रम निर्धारित करना।

(ii) बाल श्रम उन्मूलन के लिये कार्यक्रमों, परियोजना तथा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन करना।